



झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष-2024-25 हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए झारखण्ड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 के अनुसार (ई-कल्याण पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 की प्रति उपलब्ध) वित्तीय वर्ष-2024-25 के लिए निम्न प्रकार ऑनलाईन आमंत्रित किए जाते हैं:-

ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि।	31.12.2024
2.	शैक्षणिक सत्र-2024-25 हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि।	20.03.2025
3.	सम्बंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की अंतिम तिथि।	21.03.2025

नोट :-

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से सम्बंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभा से निर्गत दिशा-निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट <http://ekalyan.cgg.gov.in> पर देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व कृपया उक्त वेबसाइट पर दिए गए निर्देश को अवश्य देख लें।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए झारखण्ड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 के द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों का अनुपालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जाए। (ई-कल्याण पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 की प्रति उपलब्ध)
- निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात् किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक छात्र-छात्रा आधार आधारित बैंक खाता KYC कराने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि/अशुद्धि/गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

R 341922 Schedule Tribe, Schedule Caste, Minority
d Backward Class Welfare Department(24-25)D

आदिवासी कल्याण आयुक्त।